



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेसनोट दिनांक 20.10.2025

**इटावा पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी/पटाखों के साथ 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से करीब 03 क्विंटल अवैध आतिशबाजी/पटाखे बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस **थाना कोतवाली पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

सुरक्षित, सौम्य एवं दुर्घटनारहित दीपावली सम्पन्न कराने की शासन की मंशानुरूप एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखा निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान एवं जनपदीय कानून व सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 20.10.2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आपराधिक अभिसूचना के आधार पर पुल कहारन से 04 अभियुक्तों को करीब 03 क्विंटल अवैध पटाखों सहित गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण बरामद अवैध आतिशबाजी/पटाखे के संबंध में लाइसेन्स मार्गें जाने पर दिखाने में असमर्थ रहे।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 241/2025 धारा 5/9ख भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कसीम पुत्र बसीम रहमान निवासी नौरंगाबाद थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र करीब 19 वर्ष।
2. साहिल पुत्र संजय निवासी कहारन पुल नौरंगाबाद थाना कोतवाली इटावा उम्र करीब 18 वर्ष।
3. रामसिंह पुत्र सुरेश बाबू निवासी शिवकालोनी रामनगर थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा उम्र करीब 30 वर्ष।
4. जावेद पुत्र स्व0 गुलाम मोहम्मद निवासी नौरंगाबाद थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 241/2025 धारा 5/9ख भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. विभिन्न प्रकार के आतिशबाजी/पटाखों के कार्टून व डिब्बे (कुल वजन – करीब 03 क्विंटल)

पुलिस टीम:- प्र0नि0 श्री यशवन्त सिंह थाना कोतवाली, उ0नि0 राजेश कुमार मौर्य मय टीम।